

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक :- एफ 7(2) () राछा./सान्याअवि/15/

3406-40

जयपुर, दिनांक:


19/01/2016

उप निदेशक/सहायक निदेशक/
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
.....।

विषय:- वर्ष 2015-16 में आवंटित बजट का अनुपातिक व्यय के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला कार्यालयों को आवंटित बजट के विरुद्ध किये गये व्यय की निदेशालय स्तर पर संवीक्षा करने पर पाया गया कि आयोजना एवं आयोजना भिन्न मद के अन्तर्गत विभिन्न बजट शीर्षकों में जिला कार्यालयों द्वारा अनुपातिक रूप से व्यय नहीं किया गया, अर्थात् काफी बजट राशि शेष पड़ी हुई है, जबकि इस वित्तीय वर्ष 2015-16 में मात्र दो माह शेष रहे हैं तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिनों में एक साथ राशि व्यय करने में वित्तीय अनियमिता की संभवना रहती है।

अतः आपको निर्देशित किय जाता हैं कि आवंटित बजट का शीघ्र उपयोग कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे तथा किसी भी मद के अन्तर्गत अतिरिक्त बजट की आवश्यकता हो तो शीघ्र बजट मांग प्रेषित करे। मांग उपरान्त भी बजट समर्पित होने पर आपकी जिम्मेदारी तय की जावेगी।


19.1.16
(डॉ.हरसहाय मीणा)
अतिरिक्त निदेशक

(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)
जयपुर, दिनांक


19/01/2016

क्रमांक: एफ 7 (2) () अनुष्ठा./सान्याअवि/15/

प्रतिलिपि:-

3441-42

1. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. एनालिस्ट क्रम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र संबंधित समस्त जिलाधिकारियों को ई.मेल. कराया जाना सुनिश्चित करावे।


अतिरिक्त निदेशक
(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)